न्यायालय उप जिलाधिकारी अकबरपुर,अम्बेडकरनगर।

रिपोर्ट लेखपाल ---------बनाम --------- देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी।

वाद संख्या 85

अन्तर्गत धारा–143ज0वि0अधिनियम

मौजा–प्रतापपुरचमुर्खा

परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर

जनपद–अम्बेडकरनगर।

निर्णय

प्रार्थी राणा रणधीर सिंह प्रबन्धक देव इन्द्रावती महाविद्यालय कटेहरी अम्बेडकरनगर द्वारा ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि प्रार्थी ग्राम–प्रतापपुर चमुर्खा परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर के गाटा संख्या–2938/0.158हे0 व गाटा संख्या–2940/0.089हे0 के सक्रमणीय भूमिधर है। उक्त आराजी गाटा संख्या–2938/0.158हे0 व गाटा संख्या–2940/0.089हे0 का प्रयोग अकृषिक किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी को गैर कृषिक प्रयोजन अंकित किया जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार अकबरपुर से जांच करायी गयी। तहसीलदार अकबरपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या को अकृषिक दर्ज किये जाने हेतु स्वीकृतार्थ अग्रसारित किया गया है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम–प्रतापपुर चमुर्खा के गाटा संख्या–2938/0.158हे0 व गाटा संख्या–2940/0.089हे0 का प्रयोग अकृषिक किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड पर देव इन्द्रावती महाविद्यालय संचालित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रार्थित आराजी को ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में ग्राम–प्रतापपुर चमुर्खा परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर के खतौनी वर्ष–1416–1421फसली के खाता संख्या–961 के गाटा संख्या–2938/0.158हे0 व खाता संख्या–962 के गाटा संख्या–2940/0.089हे0को गैर कृषिक प्रयोजन यानी कृषि कार्य से इतर घोषित किया जाता है। सम्बन्धित खतौनी के खाता संख्या 961 व 962 के टिप्पणी कालम में अंकन हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

15/3/13

SDO/SDM (A)

15/3/2013

उप जिलाधिकारी

अकबरपुर।